मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1997 (फाल्गुन 2, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में बी. एम. सी. नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल जैन, सदस्य, उज्जैन जिले की सेठ गोविन्दराम शुगर मिल बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह, कंकर मुंजारे, ओंकार सिंह बिसेन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाने में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की गोहद कृषि उपज मण्डी में धान की खरीदी न होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले में कृषकों को यूरिया खाद न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बस्तर जिले में राष्ट्रीय उद्यान परियोजना से प्रभावित आदिवासियों को दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिये सोलर लेम्प्स खरीदी में भ्रष्टाचार होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, फार्मेसी कौन्सिल द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम बोरसी के एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, संचालनालय चिकित्सा सेवाएं द्वारा एक्स-रे मशीनों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 1 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

4. अशासकीय संकल्प

(1) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि कृषि उपज की आनावारी निर्धारित करने हेतु प्रचलित वर्तमान मापदण्ड का पुनर्निर्धारण कर राहत राशि बढ़ायी जावे".

(2) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में तुरन्त प्रभाव से पान मसाला तथा विभिन्न प्रकार के पाउच के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग पर रोक लगाई जाय".

(3) श्री सुनील जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का यह मत है कि सांसद तथा विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण कराने हेतु शासन निर्देश जारी करें".

(4) श्रीमती करुणा शुक्ला, कुमारी निर्मला भूरिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महिलाओं को अपमानित होने से बचाने के लिये टोनही के प्रचलन पर शासन तुरन्त रोक लगावे".

5. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 186) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 फरवरी, 1997